



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2014/फाल्गुन 29, 1935

No. 715]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2014/PHALGUNA 29, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 841(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 35 तथा 180 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
35	11	राजस्थान राज्य में जैसलमेर के निकट रारा-68 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पोखरन, बीकानेर, श्रीडुंगरपुर, रतनगढ़, फतेहपुर, झुंझनु, चिडावा, हरियाणा राज्य में नारनौल को जोड़ते हुए रेवाड़ी के निकट नया रारा-352 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
180	54	पंजाब राज्य में पठानकोट के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गुरदासपुर, अमृतसर, जीरा, फरीदकोट, भटिंडा, हरियाणा राज्य में डबवाली, राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़, पाका, समोका, गोलुवाला को जोड़ते हुए केंचिया के निकट नया रारा-62 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/15/2013-पी एंड एम (पार्ट-3)]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 364 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O. 841(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely :—

In the Schedule, for serial numbers 35 and 180, and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
“35	11	The highway starting from its junction with NH-68 near Jaisalmer connecting Pokharan, Bikaner, Sri Dungarpur, Ratangarh, Fatehpur, Jhunjhunu, Chirawa in the State of Rajasthan, Narnaul and terminating at its junction with new NH No.-352 near Rewari in the State of Haryana.
180	54	The highway starting from its junction with NH-44 near Pathankot connecting Gurdaspur, Amritsar, Zira, Faridkot, Bathinda in the State of Punjab, Dabwali in the State of Haryana, Hanumangarh, Paka, Samoka, Goluwala and terminating at its junction with new NH No. 62 near Kenchiya in the State of Rajasthan.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt.-3)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote:—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180, dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 364 (E), dated 10th February, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 842(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनु रूप स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तंभ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
"231	248ए	राजस्थान राज्य में शाहपुरा के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर अलवर, रामगढ़, हरियाणा/राजस्थान सीमा हरियाणा राज्य में नूह को जोड़ने वाला और गुडगांव के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
234	325	राजस्थान राज्य में बलोतरा के निकट रारा-25 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर सिवाना, जालौर, अहोर को जोड़ने वाला और संदेरा के निकट नया रारा-62 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
235	25 विस्तार	राजस्थान राज्य में बाड़मेर से प्रारंभ होकर रामसर को जोड़ने वाला और मुनाबाओ रोड पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/15/2013-पी एंड एम (पार्ट-3)]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O. 842(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Sl. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
"231	248A	The highway starting from its junction with NH-48 near Sahpura connecting Alwar, Ramgarh, Haryana/Rajasthan border in the State of Rajasthan, Nuh and terminating at its junction with new NH No. 48 near Gurgaon in the State of Haryana.
234	325	The highway starting from its junction with NH-25 near Balotra connecting Siwana, Jalore, Ahor and terminating at its junction with new NH No. 62 near Sandera in the State of Rajasthan.
235	25 Extn.	The highway starting from Barmer connecting Ramsar and terminating at Munabao Road in the State of Rajasthan.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-3)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote:—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180, dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 364 (E), dated 10th February, 2014.